8/21	पक्षावली मूलवाद में वकील पार्टी राजेन्द्र पाल व राजेन्द्र कन्या के मिश्रल तलबी आवेदन पर पेश हुई। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूलवाद खारिज हो चुका है इसलिए आवेदन 21 RTA का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन 21 RTA को खारिज किया जाता है पक्षावली फैसल शुमार होकर मय [illegible] से जप्त होकर दाखिल दफ्तर हो।	अति. दण्डाधिकारी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ